

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून |
पत्रांक २५८५ / १२-१(१) दिनांक, देहरादून, ०२ जून, २०१५

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चक्राता वन प्रभाग, चक्राता ।

विषय: जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा—नेहरा—पुनाह मोटर मार्ग का निर्माण कि०मी० १ से ५ तक।

संदर्भ: प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 11427 /2015
महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके द्वारा भारत सरकार/ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के स्तर से जारी की गई निर्धारित चैक लिस्ट के अनुरूप प्रस्ताव नहीं भेजे जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी आपको प्रस्तावों को अच्छी तरह से प्रभाग स्तर पर परीक्षण उपरान्त ही इस कार्यालय को प्रस्ताव ऑन लाईन करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है :-

१—प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग—२ प्रपत्र में निर्धारित कॉलमों के अनुरूप परिपूर्ण सूचना नहीं दी गयी है तथा कॉलमों में सूचना संलग्न अथवा नहीं का उल्लेख किया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। निर्धारित कॉलमों में सुस्पष्ट सूचना दी जाय।

२—प्रस्ताव में अपेक्षित वन पंचायत भूमि में के अनापत्ति प्रमाण में मात्र सरपंच वन पंचायत के मूहर में हस्ताक्षर करवाये गये हैं जो पर्याप्त नहीं है। वन पंचायत समिति के नामित सदस्य पदाधिकारियों के नाम हस्ताक्षर आदि नियमानुसार वन पंचायत की बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि उपरान्त सक्षम पदाधिकारी का नाम— पदनाम समूह हस्ताक्षर होना चाहिए जिसको राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाय।

३— सिविल सोयम भूमि में २२ वृक्ष जिसमें ०—१० के ३ तथा १०—२० व्यासवर्ग के १२ वृक्ष बाधित सूचित इसी प्रकार तथा नाप भूमि में कुल ५० वृक्ष बाधित सूचित हैं, जिसमें ०—१० व्यासवर्ग के १४ तथा १०—२० व्यासवर्ग के २८ कुल ५४ वृक्ष न्यून व्यासवर्ग के बाधित होना सूचित है, जो भारी मात्रा में बाधित हो रहे हैं। वन भूमि/ नाप भूमि में मार्ग के समरेखण में १०—२० व्यासवर्ग तक के बाधित वृक्षों को संबंधित क्षेत्र के रेज अधिकारी, फील्ड स्टाफ तथा स्थानीय ग्रामीणों की देख—रेख में उनके बताये गये खाली स्थलों में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ट्रांसप्लान्ट करवाये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी की सहमति प्रमाण पत्र अपलोड करवाया जाय।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उच्च स्तर को अधूरा व अस्पष्ट प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित न करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(आर० के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या २५८५ (१) / १२-१(१) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि—अधिकारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आक्षयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर० के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्, उत्तराखण्ड, देहरादून।